

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

01/9/18

विषय- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 10,84,06,431/- (दस करोड़ चौरासी लाख छः हजार चार सौ इकतीस रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 10,84,06,431/- (दस करोड़ चौरासी लाख छः हजार चार सौ इकतीस रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्र	भवन प्रगंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	अध्याचना आई०डी०संख्या	प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या/दिनांक	विपत्र कोडवार प्रस्तावित राशि			वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन हेतु कुल स्वीकृत राशि (6+7+8)
					03-4059600510112	03-4059607960106	03-4059607960103	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भवन प्रमंडल, लखीसराय	सात निश्चय के तहत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, चहारदिवारी पहुँच पथ स्थल विकास, फर्निचर एवं फर्निशिंग कार्य	33485	3644/ 03.11.23	45318199	15848954	912573	6,20,79,726/- (छः करोड़ बीस लाख उन्चासी हजार सात सौ छब्बीस रूपये)
2	भवन प्रमंडल, सुपौल	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निर्मली सुपौल के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदिवारी का निर्माण कार्य	33981	2428/ 29.11.19	35671563	9728608	926534	₹4,63,26,705/- (चार करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार सात सौ पाँच रूपये)
योग:-					8,09,89,762	2,55,77,562	18,39,107	10,84,06,431

(दस करोड़ चौरासी लाख छः हजार चार सौ इकतीस रूपये)

2. उक्त राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से होगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह) 26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 8166 (7)

पटना, दिनांक- 01/9/26

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार सिंह) 26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 8166 (7)

पटना, दिनांक- 01/9/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर एवं आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार सिंह) 26
सरकार के अपर सचिव।

1